


कार्यालय सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड- मेरठ ।
प्रमाण-पत्र

पत्रांक - 33/ग्रा0अ0वि0/नेशा0बि0को0/2020-21/दिनांक: 26-6-2020

1. विद्यालय का नाम :- मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल, सैक्टर-6 शास्त्रीनगर, जिला मेरठ ।
2. विकास खण्ड :- स्थानीय ।
3. पहुँच मार्ग :- है
4. सेट बैक :- उपलब्ध है

उक्त विद्यालय में भवन का निर्माण कार्य जी+3 मंजिल का पूर्ण है । विद्यालय में शिक्षण कक्षों का निर्माण मानकों के अनुसार किया गया है । आर्कीटेक्ट्स इंजीनियर्स एवं वैल्यूअर द्वारा निर्गत ड्राइंग के आधार पर एवं शासन द्वारा निर्गत सुरक्षा सम्बन्धी बिन्दुओं की चैकलिस्ट के अनुसार विद्यालय भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार किया गया है ।


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड - मेरठ

(32)


प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि

सुरक्षा से सम्बन्धी चेकलिस्ट

(ग) 15 मीटर से अधिक ऊंचे भवनों हेतु चेकलिस्ट

स्कूल का नाम :- मेरठ पब्लिक गर्ल्स स्कूल, सेक्टर - 6 शास्त्री नगर, मेरठ।

क्रमांक	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
1.	भवन में कुल कितनी मंजिले हैं?	G+3
2.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है या नहीं?	Yes.
3.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/सुक्ष्म अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	Yes.
4.	क्या भवन के चारों तरफ न्यूनतम 6.0 मी० खुला स्थान है?	Yes.
5.	क्या भवन ने पार्किंग की व्यवस्था है? भवन में नेट बैक में पार्किंग तो नहीं है?	Yes.
6.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त प्रकाश एवं हवा का संकुलेशन है?	Yes.
7.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है?	Yes.
8.	क्या भवन की छत आर.सी.सी. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं पायी गयी?	Yes.
9.	क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेन्ट से बनी है?	Yes.
10.	क्या भवन की दीवारें/छतों में कैंक है?	No.
11.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श में न्यूनतम 3.6 मी० (उठे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है?	Yes.
12.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 4.5 मी० है?	Yes.
13.	क्या खिड़कियाँ का क्षेत्रफल कक्षा के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	Yes.
14.	क्या कक्षा में न्यूनतम दो दरवाज हैं?	Yes.
15.	क्या कक्षा के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 मी०) है?	Yes.
16.	क्या विद्यालय भवन में न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) की व्यवस्था है?	Yes.
17.	क्या भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० टूट 300 मिमी० तथा गइजर 150 मिमी० है?	Yes.
18.	क्या भवन के कोरीडोर की ऊँचाई न्यूनतम 2400 मिमी० है?	Yes.
19.	क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है?	No.
20.	क्या भवन में रसोई घर मुख्य भवन से अलग है?	Yes.
21.	क्या भवन में ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल/डीजल, कैरोसीन, कुकिंग गैस पुराना फर्नीचर लकड़ी, कोयला, वास आदि) मुख्य भवन में रखने की व्यवस्था है? अथवा अलग है?	अलग है
22.	क्या भवन में मुख्य द्वार में अतिरिक्त आध्यात्मिक नियंत्रण की व्यवस्था है?	Yes.
23.	क्या अध्यापन समय में भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर ताला बंद किया जाता है?	Yes.
24.	क्या भवन निर्माण के पूर्व सुक्ष्म फायर ऑफीसर से मानचित्र पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है?	Yes.
25.	क्या भवन निर्माण के पश्चात् सुक्ष्म फायर ऑफीसर से भवन का पूर्णता प्रमाण पत्र (Building Corporation Certificate) प्राप्त किया गया है?	Yes.


 सहायक अधीक्षक
 ग्रामीण अभियन्तण विभाग
 प्रखण्ड - मेरठ

26.	क्या भवन का समा साफ़ा था ?	Yes.
27.	क्या भवन में फायर स्केप सीढ़ी का प्राविधान है?	Yes.
28.	क्या भवन की अतिरिक्त फिनिश में शीघ्र-ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया? क्या भवन की छत में ज्वलनशील फाल्स सीलिंग एवं दीवारों पर बुडेन पैन्लिंग का प्रयोग किया गया है?	No
29.	क्या भवन की छत पर न्यूनतम 25,000 लीटर क्षमता का फायर काइटिंग वाटर टैंक (प्रेसर पम्प सहित) स्थापित है कि नहीं?	Yes.
30.	लिफ्ट लावी को मुख्य भवन से फायर प्रूफ दरवाजों द्वारा अलग किया गया है अथवा नहीं?	No.
31.	क्या भवन से उपयुक्त स्थानों पर होजरील, वेट राइजेर/डाउनकमर लगावा गया है?	Yes.
32.	लावी, कारीडोर तथा जीने पर तल की संख्या जीने की दिशा तथा फायर स्केप सीढ़ियों की दिशा दर्शाने हेतु मार्ग दर्शक बोर्ड लगे हैं कि नहीं?	Yes.
33.	भवन में विकलांगों हेतु रैम्प की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी0 तथा स्लोप अधिकतम 1:12 है या नहीं?	Yes.
34.	भवन के किसी भी तल की रिहायश क्षमता (Occupancy Load) 4 वर्ग मी0 प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है?	No
35.	क्या सुक्ष्म अधिकारी से भवन का Structural Stability प्रमाण एवं प्राप्त किया गया है या नहीं?	No
36.	भवन से बाहर निकलने के सभी दरवाजों, फायर स्केप जीने के भूतल के पास खुला स्थान होना चाहिए। इसके सामने किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए।	No.
37.	भवन परिसर में फायर ड्राइड्रेल्ट का प्राविधान होना चाहिए?	Yes.
विद्युत व्यवस्था चेकलिस्ट		
38.	क्या भवन में विद्युत की हाई बोल्टेज लाइन (11000 बाल्ट या उनका न्यूनतम वर्टिकल ऊंचाई 3.70 मी0 है होरीजन्टल दूरी 2.0 मीटर है?	No
39.	क्या पुरानी विद्युत वायरिंग स्विच एवं अन्य इन्स्ट्रुमेंट ISI मार्क सामग्री द्वारा बदले गये है?	Yes.
40.	क्या भवन का विद्युत मीटर कक्ष तथा जेनरेटर कक्ष मुख्य भवन में स्थित है?	Yes.
अग्नि सुरक्षा संबंधी चेकलिस्ट		
41.	क्या विद्यालय में भवन, छात्रों तथा अध्यापकों का आग एवं दैवीय आपदाओं से सामूहिक बीमा कराया गया है?	Yes.
42.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extingulsher) एवं आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है?	Yes.
43.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाइटिंग एप्लाइन्स (First Aid Fire Fighting Appliance) की व्यवस्था है?	Yes.
44.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	Yes.
45.	भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स (First Aid Box) स्थापित है अथवा नहीं?	Yes.
46.	अग्नि लगने पर सहायता हेतु काल किये जान वाले टेलीफोन नम्बरों को उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है कि नहीं?	Yes.
47.	आग लगने पर जीने/कारिडोर की लाइट हेतु इमरजेन्सी लाइट है?	Yes.
48.	क्या फायर टास्क फोर्स का गठन किया गया है?	No
49.	क्या स्मॉक/हीट डिटेक्शन सिस्टम लगाया गया है?	No
50.	क्या फायर एलार्म सिस्टम लगाया गया है?	Yes.

23/6/20
AF

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
प्रखण्ड - मेरठ